

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी रिट याचिका संख्या 405/2017

आशुतोष गौतम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक :

12.01.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री अनिरुद्ध सिंह, अधिवक्ता वास्ते,  
श्री जय लोढा, अधिवक्ता-याची की ओर से।  
श्री जीतेन्द्र श्रीमाली, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता।  
श्री दीनदयाल शर्मा, अधिवक्ता-अयाची की ओर से।

प्रत्यर्थी संख्या 4 का नोटिस बाद अथवा अदम तामील नहीं लौटा है।  
अतः तामील का एक सप्ताह और इंतजार किया जाता है।

(बनवारी लाल शर्मा)  
न्यायाधिपति

मित्तल/7